कार्यालय सदस्य सचिव राजस्थान मेडिकेयर रिलीफ सोसायटी सामान्य चिकित्सालय डूंगरपुर

:: परिशिष्ट 'ब' ::

निविदा प्रपत्र तकनीकी बिड

1. कार्य का विवरण :– एमसीएच भवन मे सम्पुर्ण सफाई का कार्य31.03.2019 तक की अवधि के लिये ।

2. निविदा प्रस्तुत प्रस्तुत करने वाली
फर्म का नाम डाक का पूर्ण पता

दूरभाष नम्बर :– मोबाईल नम्बर पेन नम्बर

3. जी.एस.टी. नम्बर – ....

4. राजकीय चिकित्सालया/संस्थाओं/विभागों में आवंटित कार्य सही रूप से सम्पादन नही करने पर ब्लेक लिस्टेड नही है। (शपथ पत्र संलग्न करे।)

5. निविदादाता को श्रम विभाग द्वारा जारी न्यूनतम मजदूरी अधिनियम कमांक: एफ 5 (1) न्यू. बे श्रम/2002 पार्ट दिनांक 14.10.2010 की पालना करनी होगी।

6. अनुभव रखने वाले सफाई कार्मिक को प्राथमिकता दी जावेगी अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न करे।

7. निविदा सूचना मे अंकित अमानत राशि का डी.डी. /बैंकर चेक रसीद/चालान नम्बर ....दिनांक.......................................राशि का.......................................संलग्न करें।

8. अन्य शर्तें इस बिड के साथ संलग्न है। (परिशिष्ट स)

9. निविदा जिसे प्रस्तुत करना है – सदस्य सचिव राजस्थान मेडिकेयर रिलीफ सोसायटी सामा0 चिकि0 डूंगरपुर

10. संदर्भ :– निविदा सूचना संख्या – कमाक/लखा/आरएमआरएस/2018/2091–04 दिनाक 04.04.18

11. निविदा सूचना संख्या ....2091–04....................................दिनांक.....04.04.2018...........में वर्णित सभी शर्तो से तथा सम्बन्धित परिशिष्ट स मे वर्णित शर्तो से बाध्य होगा स्वीकार किये जाने के प्रमाण स्वरूप हस्ताक्षर कर दिये है। सभी परिशिष्ट हस्ताक्षरशुदा संलग्न है।
हमारे द्वारा निम्न दस्तावेज संलग्न किये गये है।
1.
2.
3.

12. हम सम्पुष्टि करते है कि प्राईस बिड हमारे द्वारा सील बन्द लिफाफे मे प्रस्तुत की गई है।

निविदादाता के हस्ताक्षर

1. महिला वार्डों हेतु महिला सफाई कर्मचारी ही लगाने होंगे। [illegible] सभी कार्मिकों को संविदाकार द्वारा फोटो युक्त परिचय पत्र जारी करना होगा तथा सभी कार्मिकों का उक्त परिचय पत्र कार्य समय में प्रदर्शित करना होगा।
2. सभी सफाई कार्मिक एक रंग की वर्दी में उपस्थित होने चाहिये। वर्दी पर सफाई कर्मचारी का नाम अंकित किया जाना आवश्यक है।
3. ठेकेदार को स्वीपर सफाई कर्मी ही उपलब्ध कराने होंगे। वार्डों, शौचालयों एवं स्नानघरों की समस्त सफाई कार्य का सत्यापन वार्ड प्रभारी द्वारा किया जाना है।
4. कार्य की अवधि में सफाई कार्य में कार्य आने वाली आवश्यक सामग्री (झाडू, पौंछा, ब्रुश, टोकरी, बांस, एसिड, सोड़ा, साबुन घोल, डिटरजेन्ट फिनाईल तथा शौचालयों के लिए नेफ्थलिन बॉल्स की गोलियां सोडियम हाइपोक्लोराइट सोल्यूशन आदि की सभी वार्डों में आपूर्ति ठेकेदार को ही करनी होगी।
5. शौचालयों में कचरा पात्र उपलब्ध हो जिसे प्रतिदिन सुबह–शाम खाली किया जावें।
6. वार्डों में प्रत्येक शय्या के नीचे, सामान्य कचरे के लिये छोटा कचरा पात्र रखा हो, जिसे प्रतिदिन सुबह–शाम खाली किया जायें।
7. स्नानघर में बाल्टी व मग उपलब्ध हो।
8. ड्यूटी चार्ट के साथ–साथ उत्तरदायी सफाई कर्मचारी का नाम व मोबाईल नम्बर अंकित किया जाना है।
9. चिकित्सालय के बरामदो सीढ़ियों, वार्डो, गिलरिया एवं हॉल्स में स्थापित कचार पात्रों की सफाई, थुकदान पीकदान में आवश्यकतानुसार रसायन आदि का परिवर्तन प्रतिदिन करना होगा।
10. चिकित्सा संस्थान पर उत्पन्न जैविकीय अपशिष्ट का biomedical waste (management & handling rules,1998 के अनुसार सुचारू प्रबंध किये जाने हेतु जैविकीय अपशिष्ट का Color coding के अनुसार पृथ्थकरण कर खड़ वेस्ट व शीर्ष का 1 प्रतिशत सोडियम के अनुसार सुचारू हाईपोक्लोराइड सोलूशन अथवा 1 प्रतिशत ब्लीचिंग घोल से निसंरकमण करवाया जाना है। तत्पश्चात् CTF or Deep burialpit के माध्यम से जैविकीय अपशिष्ट का निस्तारण करवाया जाना है।
11. निर्धारित स्तर कि सफाई नही होने पर एवं इस संबध में वार्ड प्रभारी, नर्सिंग अधीक्षक अथवा सफाई प्रभारी द्वारा सूचित किये जाने पर पुनः सफाई करवानी होगी एवं इसका निरीक्षण करवाया जाना होगा।

12. एम.सी.एच. भवन के समस्त [illegible] [illegible] में [illegible] [illegible] शौचालयों में [illegible] व्यवस्था उपलब्ध होनी चाहिए।

13. परिसर की कांटेदार झाड़ियां व बिना [illegible] [illegible] के [illegible] [illegible] होगी। [illegible] झाड़ियां या परिसर में कोई जानवर [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] परिषद या चिकित्सालय का [illegible] वहां तक अपने खर्च [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] होगा।

14. अन्य नियम व शर्तें सामान्य व वित्तिय एवं लेखा नियम के अनुसार होगी।

15. सफाई ठेके की अवधि एक वर्ष की होगी। लेकिन कार्य संतोषप्रद न होने की दशा में सफाई ठेका निरस्त किया जा सकता है।

16. निविदायें स्थानीय प्रमुख चिकित्सा अधिकारी के कार्यालय से निर्धारित शुल्क जमा करवाकर प्राप्त प्रपत्र में भेजी जावे। निश्चित प्रपत्र के अतिरिक्त अन्य पत्र पद दी हुई दरें स्वीकार नही की जावेगी।

17. टेडंर एक मजबूत लिफाफे मे बन्द करके उस पर प्रमुख रूप " सफाई ठेका निविदा" अंकित करके प्रमुख चिकित्सा अधिकारी के कार्यालय में उनके निश्चित दिनांक एवं समय पर भेजना होगा।

18. टेण्डर देने वाले की दरें एवं अन्य विवरण स्वच्छ अक्षरों में लिखना चाहिये। शब्दों को मिटाने, परिवर्तन करने सुधारने आदि की स्थिति मे प्रत्येक पर टेण्डर देने वाले के हस्ताक्षर करने होगें।

19. एम.सी.एच. भवन के समस्त भवन एवं नये तलों के कमरों वार्डो, शौचालयों व अन्य सभी क्षेत्र में बरामदो, पोर्चो सीड़ियो खुर्रा आदि में सफाई का कार्य प्रतिदिन मे दो बार करना होगा।

20. सफाइ ठेके के लिए ठेकेदार को वार्षिक दर से स्वीकृत राशि के आधार पर मासिक भुगतान प्रत्येक अगले माह की 10 तारीख तक देय होगा। उपरोक्त भुगतान उस माह का कार्य पूर्णतया पूरा एवं संतोषप्रद होने पर होगा, अन्यथा उसी अनुपात में भुगतान किया जावेगा। कार्य बिल का प्रमाणिकरण मेट्रन या पी.एम.ओ. द्वारा अधिकृत अधिकारी द्वारा किया जायेगा।

21. स्वीकृत ठेका किसी अन्य व्यक्ति को सबलेट करने का ठेकेदार को कोई अधिकार नहीं होगा।

22. सरकार अथवा ठेकेदार का यदि किसी प्रकार की कानूनी कार्यवाही की जाने की आवश्यकता प्रतीत हो तो जिला मुख्यालय स्थित न्यायिक क्षेत्र मे ही किया जा सकेगा।

23. समय पर निर्देशानुसार सफाई कार्य न कराने/बंद कराने की दशा में चिकित्सालय प्रभारी अधिकारी को पूर्ण अधिकार होगा कि वह ठेकेदार के खर्च पर उस कार्य या किसी अन्य व्यक्ति अथवा संस्था से करवा सकता है। और उसमें हुआ पूर्ण व्यय ठेकेदार से वसूली योग्य होगा।

24. ठेकेदार को निविदा प्रपत्र एवं संलग्न की गयी ठेका शर्तो के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर करने होगें। ठेकेदार को निविदा के साथ जमानत राशि बैंक ड्राफ्ट या नकद जमा करानी होगी। अमानत राशि ठेके की वार्षिक अनुमानित राशि की 2 प्रतिशत होगी। सफल निविदादाता का निविदा के साथ दी गई अमानत राशि प्रतिभूति राशि में समायोजित कर ली जायेगी तथा

वास्ते बागड़ सिक्युरिटी सर्वि

असफल निविदादाताओं को अमानत राशि बैंक [illegible] में लौटा दी जायेगी।

25. अमानत राशि एवं प्रतिभूति राशि पर चिकित्सालय द्वारा कोई ब्याज देय नहीं होगा।

26. जिस निविदादाता के पक्ष में ठेका स्वीकृत होगा उसे ठेके की स्वीकृत राशि का 5 प्रतिशत प्रतिभूति राशि बैंक ड्राफ्ट/नकद चालान द्वारा एक सप्ताह में जमा करानी होगी तथा नियमानुसार 5 रूपये के नॉन ज्यूडिशियल पेपर पर अनुबंध करना होगा। इस राशि को ठेके की अवधि समाप्त होने के उपरान्त तीन माह तक अन्य कोई बकाया नही होने एवं ठेके की अवधि में कार्य पूर्ण संतोषप्रद की स्थिति में ठेकेदार को लौटा दिया जावेगा।

27. न्यूनतम दरों को स्वीकार/अस्वीकार करने का अधिकार प्रमुख चिकित्सा अधिकारी के पास सुरक्षित रहेगा।

यदि अनुमोदित ठेकेदार अनुबन्ध एव शर्तो के अनुसार कार्य सम्पादित करने में असफल रहता है तो उसका ठेका निरस्त किया जा सकेगा और इसके लिए ठेकेदार को न्यायालय से वाद प्रस्तुत करने का अधिकार नही होगा।

28. ठेके की अवधि में यदि सफाई कार्य उत्कृष्ट पाया गया तो सफाई का ठेका आगामी छः माह के लिए बढ़ाया जा सकता है।

29. आयकर अधिनियम के अन्तर्गत नियमानुसार ठेकेदार के बिल से आयकर कटौति की जावेगी।

30. प्रमुख चिकित्सा अधिकारी या उनकी ओर से अधिकृत अधिकारी किसी भी समय सफाई कार्य निरीक्षण कर सकते है।

31. ठकेदार को कार्य आदेश मिलने के बाद सात (07) दिन में कार्य प्रारम्भ करना होगा अन्यथा उसकी प्रतिभूति जब्त कर ली जावेगी।

32. ठेकेदार को केन्द/राज्य सरकार के श्रम नियमों की पालना करनी होगी जिसके लिये वह स्वयं उत्तरदायी होगी।

33. ठेकेदार फर्श एवं दिवारों को सफाई हेतु पत्थर या ईटो के टूकड़ो का उपयोग नही करेगा बल्कि उसके लिए उपयुक्त अलग से जो सामग्री/रसायन आता है उसे ही काम मे लेना होगा।

34. एम.सी.एच. भवन एवं परिसर की सफाई का कूड़े करकट व अन्य सामग्री उचित स्थान पर जलाकर अथवा परिसरं के बाहर निर्धारित स्थान पर डालने की व्यवस्था भी ठेकेदार को करनी होगी।

35. विशिष्ट परिस्थितियों में चिकित्सालयों में पानी की कमी होने पर सफाई एवं धुलाई के कार्य हेतु ठेकेदार को पानी की समुचित व्यवस्था स्वयं के स्तर से करनी होगी। जिसका पूर्ण व्यय ठेकेदार को ही वहन करना होगा।

भारत सिक्योरिटी सा

36. सफाई सामग्री से किसी प्रकार की मिलावट या अमानक कोटि पाई गई तो सामग्री को तुरन्त जब्त कर लिया जावेगा तथा कोई राशि देय नही होगी।

37. यदि ठेकेदार के कर्मचारी कार्य करने के दौरान चिकित्सालय की किसी भी चल/अचल सम्पत्ति को नुकसान पहुचाते है। तो उसकी वसूली ठेकेदार के बिल/प्रतिभूत राशि में से की जावेगी।

38. एम.सी.एच. भवन के थियेटर प्रसूति वार्ड, चिल्ड्रन वार्ड, शौचालय व अन्य स्थान की सफाई दिन में तीन बार करनी होगी।

39. एक सफाई कर्मचारी सफाई कार्य हेतु 24 घण्टे उपलब्ध कराना आवश्यक होगा। जिसकी सूचना नर्सिंग अधीक्षक को देनी होगी एवं उपस्थिति दर्ज करवानी होगी।

40. कार्य संतोषजनक नहीं होने की स्थिति में केयर टेकर एवं उप नियन्त्रक की अनुशंषा पर उस दिन की राशि काट ली जावेगी।

41. ठेकेदार द्वारा रखे गये सफाई कर्मियों को वेतन समय पर देना होगा।

42. ठेकेदार द्वारा रखे गये सफाई कर्मियों को किसी भी प्रकार की हानि होने पर इस चिकित्सालय की कोई जिम्मेदारी नही होगी।

43. उपरोक्त सभी कार्य सम्बन्धी शर्तें तथा समय-समय पर निर्देशित कार्य बिना किसी रोक रुकावट के प्रशासन की संतुष्टि तक सम्पादित करनी/करना होगा।

44. इस कार्यालय द्वारा पूर्व में सफाई ठेका कार्य में ब्लोक लिस्टेड (कार्य से बहिष्कृत) संस्थानों/से निविदा स्वीकार्य योग्य नही होगी।

45. अस्पताल या अन्य जिला चिकित्सालय में ठेका कार्य/सफाई कार्य करने वालों को प्राथमिकता दी जायेगी और जो इस हेतु निविदादाता द्वारा कार्य का प्रमाण पत्र संलग्न किया जाना चाहिए।

46. अस्पताल में सफाई हेतु निविदा शर्तो की पालना नहीं किये जाने पर प्रतिदिन के हिसाब से राशि मासिक काट ली जावेगी।

प्रमुख चिकित्सा अधिकारी
राजस्थान मेडिकेयर रिलीफ सोसायटी
डूंगरपुर (राज0)

ठेके की उपरोक्त सभी शर्तों को मैंने पूर्णतया पढ़ लिया है तथा मुझे उक्त शर्तें पूर्णतया मंजुर है।

निविदादाता के हस्ताक्षर

कार्यालय राजस्थान मेडिकेयर रिलीफ सोसायटी सामान्य चिकित्सालय, डूंगरपुर

परिशिष्ट "4"

— निविदा प्रपत्र—वित्तीय बिड —

नोट :— 1 इसको मोहर बन्द लिफाफे में रखें। लिफाफे के ऊपर [illegible]

1. निविदा कार्य का नाम [illegible]
2. निविदा प्रस्तुत कराने वाली फर्म .... के लेटर [illegible]
   का नाम व डाक का पूर्ण पता :— ....

   दूरभाष फेक्स नम्बर सहित :— ....
3. निविदा जिसे प्रस्तुत करनी है :— सदस्य सचिव, राजस्थान मेडिकेयर रिलीफ सोसायटी, सामान्य चिकित्सालय, डूंगरपुर
4. संदर्भ :— निविदा सूचना संख्या क्रमांक / [illegible] / आरएमआरएस / 2017 / ....
   दिनांक..........................
5. एम.सी.एच. भवन में सफाई का विवरण निम्न है:—

क.सं.	एम.सी.एच. भवन में सफाई कार्य का विवरण	सफाई कार्य की दर प्रतिमाह
	एम.सी.एच. भवन के समस्त वार्डो, समस्त कमरे, समस्त बरण्डा समस्त शौचालयों, स्नानघरों आदि की सफाई कार्य जाले हटाना एवं पोंछा लगाने का कार्य प्रतिदिन दिन में दो बार। दिवारों पर पांच पांच फिट तक की उचाई में पान की पीक आदि की सफाई कार्य। एम.सी.एच. भवन के परिसर के खुले स्थानों पर झाड़ियों को जड़ से निकालना, पत्तियां, प्लास्टिक थेलियां आदि को परिसर के बाहर नगर परिषद के द्वारा निर्धारित स्थान पर डालना। सफाई कार्य में काम आने वाली आवश्यक सामग्री जैसे झाडू, पोंछा, ब्रश ट्रोली, ब्रास एसिड, सोडा, साबुन का घोल, डिटरजेंट, फिनाईल, तथा शौचालयोंके लिए नेफ्थलीन बॉल्स की गोलियां आदि की सभी वार्डो में आपूर्ति निविदादाता को करनी होगी। सम्पूर्ण चिकित्सा संस्थान पर 24X7 सफाई व्यवस्था बनाए रखना है।	

नोट :— दरें शब्दो एवं अंकों दोनों रूप में लिखी जावें। दरों में कोई त्रुटि(Errors) एवं उपरिलेखन (Overwriting) नहीं होवें।

6. प्राईस बिड को भरने हेतु परिशिष्टों की शर्तों को ध्यान में रखें। किसी भी शर्त की अवहेलना पर निविदा निरस्त कर दी जाएगी। जिसकी जिम्मेदारी इस कार्यालय की नहीं होगी।

सदस्य सचिव
प्रमुख चिकित्सा अधिकारी
राजस्थान मेडिकेयर रिलीफ सोसायटी
सामान्य चिकित्सालय
डूंगरपुर

मैंने उपरोक्त सभी शर्तें ध्यान पूर्वक पढ़ ली है तथा मुझे पूर्णतः मंजूर है।

दिनांक :—

निविदादाता के हस्ताक्षर